

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 16-5-18
फैसल दि० 16-5-18


श्री तेजपाल छि टुकजी
परेल कलाल
(वादी)
अनवान
बनाम तहसीलदार (सागवाडा)
(प्रतिवादी)

वादी श्री तेजपाल छि टुकजी परेल ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा बुरदा के खाता नम्बर 469 जमाबन्दी सं० 2071-74
में अंकित स्वयं/पिता का नाम दिसा
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम शान्ता कुमारी
छि खुमाना छि टुकजी है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम दिसा
जयकुमार छि टुकजी परेल कलाल दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम शान्ता कुमारी छि खुमाना छि टुकजी,
तेजपाल छि टुकजी होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा बुरदा की जमाबन्दी संवत् 2071-74 के
खाता संख्या 469 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम

दिसा में संशोधन कर सही नाम दिसा
दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा